**FORM NO. III**

**फर्दअहकाम**

**( नियम– 26 )**

# अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

| वादी / वादीगण **बनाम** | प्रतिवादी / प्रतिवादीगण |
|---|---|
| पहाड़सिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा | 1 भरतसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (2)<br>3 राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना |

किस्म मुकदमा......धारा 53,188 RT Act. मुकदमा नंबर:– 14 / 2026

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.01.2026 | वादी पहाड़सिंह की ओर से वकील श्री हुकमसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी भरतसिंह वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.03.2026 को पेश हो।<br>(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)<br>सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना | |
| 09.02.2026 | वादी वकील के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। ~~आज~~। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी को लेकर उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। अतः वाद पत्र जरिये विड्रो खारिज फरमावे।<br>इस पर वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वादी व पत्रावली [illegible] स्वीकार वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] वाद [illegible] विड्रो किया जाकर वादी [illegible] खारिज किया जाकर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलेक्टर ! (S.D.O) सिवाना | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:19:02 IST
Reason: SelfAttested